सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या – 20/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

परमेश्वर सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी भराई तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती

निर्णय

दिनांकः–23.05.2018

पत्रावली आज दिनांक 23.05.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प भराई में पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम भराई तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 113 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 961 रकबा 0.01 हैक्ट. किस्म गै.मु.चाह व खसरा नम्बर 962 रकबा 1.17 हैक्ट किस्म बारानी 1 प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी दर्ज व कब्जे काश्त की आराजीयात है। उक्त प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात के पुराने खसरा नम्बर 458 मी. थे जिनका नक्शा व मिलान क्षेत्रफल संलग्न है एवं प्रार्थना पत्र का अभिन्न हिस्सा है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात के वर्तमान एवं संवत 2022 के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आकृति व भुजा प्रार्थना पत्र में अंकित की है। उक्त आराजीयात में पूर्व से पश्चिम की भुजा जिसे ए0बी0 मार्क से दर्शित किया है की लम्बाई संवत 2022 के नक्शा अनुसार 1.6 सेमी थी जिसे बिना किसी विधिक आदेश के मनमाने तरीके से वर्तमान नक्शे में 1.4 सेमी. अप्रार्थी एवं उनके कर्मचारीयों ने कर दिया है जबकि प्रार्थी का कब्जा उक्त आराजीयात पर पूर्व की भांती चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की उक्त आराजीयात के नक्शे को छोटा कर देने की जानकारी से सर्वप्रथम प्रार्थी ने सीमाज्ञान करवाना चाहा तब हुई। राजस्व रिकॉर्ड की नकले दिनांक 29.11.2017 को निकलवाकर नक्शा संवत 2022 से तुलना की गई तब हुई। प्रार्थी द्वारा पूर्व नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शे में दुरूस्ती किया जाना चाहा है। वाद स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली में आज दिनांक 23.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 केम्प भराई में जवाब पेरोकार पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम भराई के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 113 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 961 रकबा 0.01 हैक्ट. किस्म गै.मु.चाह व खसरा नम्बर 962 रकबा 1.17 हैक्ट किस्म बारानी 1 प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी की आराजीयात है। वर्तमान नक्शे एवं पुराने नक्शे संवत 2022 में आकृति में भिन्नता पाई गई परन्तु रकबा समान है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब सरकार एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार नक्शे एवं पुराने नक्शे संवत 2022 में आकृति में भिन्नता पाई गई परन्तु रकबा समान होना पाया गया। जिससे वादी का वाद पत्र वादी के पक्ष में जाहिर नही होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी के ग्राम भराई के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 113 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 961 रकबा 0.01 हैक्ट. किस्म गै.मु.चाह व खसरा नम्बर 962 रकबा 1.17 हैक्ट किस्म बारानी 1 प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी की आराजीयात है। वर्तमान नक्शे एवं पुराने नक्शें संवत 2022 में आकृति में भिन्नता पाई गई परन्तु रकबा समान है। जवाब सरकार अनुसार समान रकबा होने वादी का वाद चलने योग्य नही है। अतः वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी